



2026:AHC: 66483

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 1664/2025

सुनील

.....पुनरीक्षणवादी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....विपक्षी(गण)

पुनरीक्षणवादी(गण) के अधिवक्ता : आनंद कुमार सिंह

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 18

माननीय न्यायमूर्ति सत्य वीर सिंह

1. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री आनंद कुमार सिंह और राज्य के लिए विद्वान ए.जी.ए. श्री मार्कण्डेय राय को सुना गया।
2. वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण पुनरीक्षणकर्ता द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर द्वारा कंप्यूटर वाद संख्या D202514360000555 वाले वाद संख्या 555 वर्ष 2025 (राज्य बनाम सुनील), धारा 5 (क) उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, 1955, पुलिस स्टेशन मीरगंज, जिला जौनपुर में पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश दिनांक 06.03.2025 को अपास्त करने के लिए दाखिल किया गया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. विद्वान ए.जी.ए. श्री राय ने प्रस्तुत किया है कि दिनांक 15.10.2024 को जारी अधिसूचना के अनुसार, वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण इस न्यायालय के समक्ष पोषणीय नहीं है और खारिज किए जाने योग्य है।

4. श्री सिंह ने प्रस्तुत किया है कि 4.4.2025 को, वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण दाखिल करते समय, वे अधिसूचना पर ध्यान नहीं दे सके; इसलिए, सक्षम प्राधिकारी के समक्ष नया पुनरीक्षण दाखिल करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाए, और इस प्रयोजन के लिए, उन्होंने आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या 14242 वर्ष 2025 में इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा दिए गए निर्णय दिनांक 18.7.2025 के पैराग्राफ 7 से 9 पर भरोसा किया है। उक्त प्रस्तर नीचे उद्धृत किए गए हैं:-

"7. पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद, यह स्पष्ट हो जाता है कि उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, 1955 जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित जब्त किए गए वाहन के संबंध में जब्ती के आदेश के विरुद्ध अपील या पुनरीक्षण का कोई मंच प्रदान नहीं करता है। यह सुस्थापित विधि है कि यदि किसी पक्षकार के विरुद्ध कोई न्यायिक या अर्ध-न्यायिक आदेश पारित किया जाता है, तो उसके पास अपनी शिकायतों के निवारण के लिए एक मंच होना चाहिए। यदि किसी पक्षकार के विरुद्ध ऐसा कोई आदेश पारित किया जाता है तो उसे अधर में नहीं छोड़ा जा सकता। आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या 9028 वर्ष 2021 में पारित आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त आदेश 26.4.2024 को पारित किया गया था जब किसी पक्षकार के लिए उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, 1955 में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित जब्ती आदेश को चुनौती देने के लिए ऐसा कोई मंच उपलब्ध नहीं था। ऐसा प्रतीत होता है कि विधायिका की चूक के कारण हुई उक्त खामी को बाद में दिनांक 15.10.2024 की अधिसूचना जारी करके सुधारा गया था।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



8. हमने उपरोक्त अधिसूचना का भी अवलोकन किया है जिसे नीचे उद्धृत किया गया है:-

उत्तर प्रदेश शासन

गृह (पुलिस) अनुभाग-9

भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के प्रावधानों के अनुसरण में, राज्यपाल अधिसूचना संख्या U.O./77/VI-P-9-2024 दिनांक 15 अक्टूबर, 2024 के निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद के प्रकाशन का आदेश सहर्ष देते हैं।

अधिसूचना

संख्या U.O./77 U.O-/VI-P-9-2024

लखनऊ: दिनांक: 15 अक्टूबर, 2024

उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम, 1904 (1904 का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, 1955 (1956 का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1) की धारा 5-क की उपधारा (5) के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल मंडलायुक्त को किसी भी समय उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, 1955 (1956 का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1) की धारा 5-क के अंतर्गत की गई कार्रवाई की वैधता या औचित्य के बारे में स्वयं को संतुष्ट करने, किसी भी मामले का अभिलेख मंगाने और उसका परीक्षण करने तथा उस पर ऐसा आदेश पारित करने के लिए सहर्ष अधिकृत करते हैं जैसा कि वह उचित समझें।

उपरोक्त शक्ति का प्रयोग मंडलायुक्तों के संबंधित जिलों की सीमा के भीतर किया जाएगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



यह आगे स्पष्ट किया जाता है कि मंडलायुक्त को प्रदत्त उपरोक्त अधिकार को पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के रूप में जाना जाएगा।

आज्ञा से,

(राजेश कुमार)

सचिव।

राजेश कुमार

द्वारा हस्ताक्षरित

दिनांक: 15-10-2024 14:44:39

9. उपरोक्त अधिसूचना के आलोक में, यह बहुत स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, 1955 में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित जब्ती आदेश के विरुद्ध केवल मंडलायुक्त के समक्ष ही आपराधिक पुनरीक्षण ग्राह्य होगा। अतः उक्त अधिसूचना के बाद आक्षेपित आदेश के विरुद्ध वर्तमान आपराधिक रिट पोषणीय नहीं है क्योंकि याची के पास अपनी शिकायतों को उठाने के लिए समान और प्रभावकारी उपाय है। हालांकि, हमारा विचार है कि 15.10.2024 को जारी की गई उपरोक्त अधिसूचना याची के संज्ञान में नहीं आई होगी। इसलिए हम इस रिट याचिका को याची को आदेश की तिथि से एक महीने के भीतर आपराधिक पुनरीक्षण दाखिल करने के लिए उचित मंच से संपर्क करने की स्वतंत्रता के साथ निस्तारित करना उचित समझते हैं और यदि याची इस न्यायालय के निर्देशानुसार मंच से संपर्क करता है, तो संबंधित मंडलायुक्त परिसीमा के प्रश्न पर विचार किए बिना उसके पुनरीक्षण पर विचार करेंगे।"

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



5. अतः, श्री सिंह ने स्वयं को उपलब्ध उपाय का लाभ उठाने की स्वतंत्रता के साथ वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण को वापस लेने की प्रार्थना की, और उन्होंने सक्षम प्राधिकारी को उनके पुनरीक्षण को समय-सीमा के भीतर मानने का निर्देश देने की भी प्रार्थना की क्योंकि उन्होंने इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान पुनरीक्षण समय के भीतर दाखिल किया है।

6. पक्षकारों द्वारा किए गए उपरोक्त प्रस्तुतीकरणों और इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित निर्णय के दृष्टिगत, वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष नया पुनरीक्षण दाखिल करने की स्वतंत्रता के साथ वापस लिया हुआ मानकर खारिज किया जाता है, और यदि पुनरीक्षणकर्ता आज से तीन सप्ताह के भीतर पुनरीक्षण दाखिल करता है, तो परिसीमा के प्रश्न से आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या 14242 वर्ष 2025 में इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.7.2025 के प्रस्तर 9 के अनुसार निपटा जाएगा।

7. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह आक्षेपित आदेश की प्रमाणित प्रति अभिलेख पर उसकी एक छायाप्रति सुरक्षित रखने के बाद पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को वापस कर दे।

30 मार्च, 2026

केपीवाई

(न्यायमूर्ति सत्य वीर सिंह)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”